Vol 3 Issue 11 Dec 2013

ISSN No : 2230-7850

International Multidisciplinary Research Journal

Indian Streams Research Journal

Executive Editor
Ashok Yakkaldevi

Editor-in-Chief
H.N.Jagtap

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2230-7850**

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Manichander Thammishetty
Ph.d Research Scholar, Faculty of Education IASE, Osmania University, Hyderabad.

Mr. Dikonda Govardhan Krushanahari
Professor and Researcher ,
Rayat shikshan sanstha's, Rajarshi Chhatrapati Shahu College, Kolhapur.

International Advisory Board

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

.....More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.org

Indian Streams Research Journal
Volume-3, Issue-11, Dec-2013
ISSN 2230-7850

Available online at www.lbp.world

"पन्ना जिले में ग्रामीण नियोजन विकास" – (विश्लेषणात्मक अध्ययन) अनुशंसाएवं सुझाव

डॉ. वीणा सिंह[1] , डॉ. विजय कुमार सिंह[2]
[1]स. प्राध्यापक
[2]सह–प्राध्यापक

परिचयः

म.प्र. के पन्ना जिले में ग्रामीण विकास के नियोजन के लिए कृषि की आधुनिक तकनीकों के प्रभाव एवं दुष्प्रभावों को विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का सूक्ष्म अध्ययन किया जाना अति आवश्यक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नियोजन के आरंभ से अब तक की सभी पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास के प्रयास किये गये, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार दिखाई पड़ रहे हैं। ग्रामीण विकास के लिए शासन द्वारा अपनाई गई विभिन्न रणनीतियों के परिणामस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन आया है। निःसंदेह ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधुनीकी करण की और अग्रसर हुई है जिसमें आधुनिक विकास के विविध आयामों को सूगमतापूर्वक देखी जा सकती है। फसल उत्पादन, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामोद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता विकास कार्यो के प्रति अनुकूल अनुक्रिया, परिवहन, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता, रहन–सहन, वेश–भूषा, मनोरंजन, आहार एवं पोषण, एवं परिवार नियोजन आदि की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रथम नियोजन काल में आरंभ किया गया ग्रामीण विकास कार्यक्रम का व्यापक प्रभाव देखने को मिला था, जिसके अंतर्गत कृषि विकास, भूमिहीनों के लिए उचित मजदूरी, ग्रामीण औद्योगीकरण, जनस्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन तथा आर्थिक, सामाजिक उन्नति का आधार तैयार किया गया था।

ग्राम नियोजनः–

ग्रामीण विकास के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन, केन्द्रीकरण या विकेन्द्रीकरण के रूप में किया जाए यह नियोजन के प्रारंभ से ही चर्चा का विषय बना हुआ था। स्वतंत्रता के पूर्व महात्मा गांधी के द्वारा जन आधार पोषित और सदियों से जानी परखी पंचायतों को पुनः सक्रिय बनाने के लिए जो प्रयास किया गया था, उन्हीं को आधार बनाकर स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को पुनः सक्रिय बनाने के लिए २ अक्टूबर १९५७ से प्रारंभ कर १५ हजार पंचायतें एवं करीब ४० हजार गांव सम्मिलित कर सत्ता का विकेन्द्रीकरण की त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की शुरूआत की गई। इस व्यवस्था द्वारा ग्रामीणों ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण का बागडोर स्वयं के हाथ में योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया।

ग्रामीण विकास में नियोजन के आरंभ के समय से प्रमुख अभिकर्ता के रूप में सामुदायिक विकास और पंचायती राज को महत्वपूर्ण भूमिका दी गयी। यह समझा गया कि सामुदायिक विकास वह विधि है जिससे गांव के सामाजिक, आर्थिक जीवन परिवर्तन की प्रकिया आरंभ होती है, किन्तु तीन पंचवर्षीय योजना के समापन पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम कृषि उत्पादन में यथोचित वृद्धि नहीं कर सका। विकासखण्डों द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम को अधिक महत्व दिया गया, जिसके कारण अधिकांश लाभ बड़े और सुविधा सम्पन्न कृषकों को मिला। यह कार्यक्रम क्षेत्रों में मिट्टी, जलवायु, खनिज संसाधनों पर ध्यान दिये बिना समान रूप से लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था भी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सफल नेतृत्व नहीं दे सका। अतः ग्रामीण विकास में कृषि विकास की अहमियत को दृष्टिगत रखते हुए समस्याग्रस्त क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम के रूप में ''जिला सघन कृषि कार्यक्रम १९६०'' (IDAP),पिछड़े क्षेत्रों के लिए जैसे, सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए जैसे, ''सूखाग्रस्त विकास कार्यक्रम १९७३*[1] '', ''मरूस्थल विकास कार्यक्रम १९७७*[2] '', पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम १९६०, ''जनजातिय क्षेत्र विकास कार्यक्रम १९६२'', एवं कमजोर वर्गो के विकास लिए संस्थागत अभिकरणों को विकसित करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन श्रम आधारित प्रौद्योगिकी के प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए, लघु कृषक विकास अभिकरण १९६९, सीमांत कृषक एवं कृषक विकास अभिकरण १९७०, ग्रामीण रोजगार का त्वरित कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम १९७४, कार्य के बदले अनाज १९७७, समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम १९७८, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम १९८०, बायोगैस कार्यक्रम १९८१, समन्वित ऊर्जा कार्यक्रम १९८१, शिक्षित बेरोजगार युवक स्वरोजगार कार्यक्रम १९८३, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक गारंटी योजना १९८३, जबाहर रोजगार योजना १९८४, समन्वित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम १९८९, राजीव गांधी पेयजल मिशन १९९१, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना १९९९, राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी योजना २००५ आदि द्वारा किया गया था।

स्वतंत्रता के बाद विशेषकर पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण व्यवस्था प्रगति की और अग्रसर हुई है। ग्रामीणों के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन अवश्य दृष्टिगोचर होने लगा है, या ग्रामीण विकास समग्र रूप से सरकार द्वारा प्रवर्तित जनकल्याणकारी कार्य, नगरीकरण, राजनीतिक जागरूकता, शिक्षा प्रसार, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, प्रौद्योगिकी विकास का प्रतिफल रहा है। कृषि में तकनीकी विकास ने ग्राम जीवन के उन्नयन में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सहायता पहुँचाई है। खेती और समाज ने नई आदतें और जीवन यापन के नये ढंग अपनाये हैं, एवं नये उपकरण विशेषकर इलेक्ट्रानिक उपकरणों को अपनाने लगे हैं उनके पहनावे और आभूषणों में उल्लेखनीय

Impact Factor : 1.7604(UIF)

परिवर्तन हुए हैं। ग्रामीण कृषकों में विशेषकर युवा पीढी में परंपरागत पहनावे के स्थान पर पश्चात्य पहनावे का महत्व बड़ा है। आज मोबाईल, टी.बी., कम्प्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, कैप्सूल, दो पहिये एवं चार पहिये वाले वाहन केवल शहरों के भौतिक साधन नहीं रहे बल्कि गांव के ज्यातर कृषक उक्त साधनों का उपयोग धडल्ले से कर रहें हैं।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि गामीण विकास के लिए किए गये नियोजित प्रयासों से गॉव विकासके विकास प्रगति पथ पर अग्रसर हुए है। किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज दिनांक तक विकसित देशों के ग्रामीण विकास के सूचक तत्वों से तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त प्रगति हमारी आवश्यकताओं को देखते हुये पर्याप्त नहीं है। एक तरफ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विकास हुआ है दूसरी ओर गरीबी और बेरोजगारी की समस्या का समाधान अब तक नहीं किया जा सका है। जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त गरीबी और बेरोजगारी को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, तब तक एक उन्नत, खुशहाल एवं विकसित गाांव की कल्पना नहीं की जा सकती। पन्ना जिले के आठ तहसीलों के नमूने के रूप में चयनित एक-एक गांव के सजग किसानों से परिचर्चा करने से कृषि के पिछड़े होने एवं ग्राम विकास में कृषि विकास का योगदान ज्यादा न होने के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु, एवं उनसे चर्चा कर कुछ महत्वपूर्ण सुझावों की अनुसंशा की गई है।

अनुशंसा एवं सुझाव :–

पन्ना जिले में कुल जनसंख्या १०.१६ लाख में प्राथमिक क्षेत्र में ४०.६ प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र में २१.२ प्रतिशत, तृतीयक क्षेत्र ३७.६ प्रतिशत जिसमें महिला श्रमिक १६.५६ प्रतिशत और गैर कामगार ४६.८१ प्रतिशत है। इस जिले में समुन्नत ग्रामीण विकास के लिए प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों से संबद्ध लोगो के लिए कार्ययोजना बनाने में गरीबी उन्मूलन एवं बेरोजगारी दूर करने की दिशा में स्थानीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता होगी। बडे जोत वाले किसानों के लिए आधुनिक तकनीकों का अत्यधिक उपयोग, मंझले किसानों के लिए सहायक सेक्टरों को विकसित कर एवं सीमांत, लघु, खेती, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए समग्र कृषि विकास के माध्यम से गरीबी एवं बेरोजगारी दूर की जा सकती है। अनुशंसाएं अग्रानुसार है–

१. पी.आर.ए. विधि द्वारा पन्ना के १००० गॉवों का सर्वेक्षण कर कार्ययोजना तैयार किया जाना।

२. जलवायु, मृदा एवं बाजार की मांग आधारित फसलों का चयन।

(१)किसान उन्नत बीज एवं बीज के पुर्नस्थापन के प्रति जागरूक है। इसी प्रकार अन्य आदान जैसे- उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई आदि के प्रति भी सजगता है। के प्रति है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार फसल उत्पादन विभिन्न कारकों का योगदान द्वारा प्रभावित होता है जो निम्नानुसार अंकित किया है :-

एस्टीमेटेड कान्ट्रिब्यूशन ऑफ फेक्टर्स टू क्राप प्रोडक्शन

तालिका 7.2

सीड रिप्लेसेमेंट मेनेजमेंट	१५-२० प्रतिशत
सॉइल एंड वाटर मेनेजमेंट	१५-२० प्रतिशत
इंटिग्रेटेड न्युट्रिशिएन्ट मेनेजमेंट	२५-३० प्रतिशत
इंटिग्रेटेड पेस्ट मेनेजमेंट	१५-२० प्रतिशत
क्रॉप रोटेशन	०५-१० प्रतिशत
फार्म मैकेनाइजेशन	०५-१० प्रतिशत

पन्ना क्षेत्र के कृषकों से चर्चा करने पर यह प्रतीत हुआ कि वे इसके प्रति जागरूक है किन्तु उनकी अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं:- गुणवत्ता युक्त बीज/उर्वरक/कीटनाशक/जिन फसलों की पौध प्रदाय की जाती है, वे भी मान स्तर की हो, समय पर उपलब्ध हो, क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त एवं युक्तियुक्त कीमत में हो,।

(२) जैविक खेती की आवश्यकता और अन्तोगत्वा इसी में अपनी समस्या का निदान कृषक अनुभव करने लगे हैं।

(३) पशुपालन की ओर कृषक अब उतना ही महत्व देने की मनःस्थिति में है जितना कि मुख्य कृषि को। जैविक खेती की प्रथम शर्त एवं आवश्कता के रूप में कृषक इसे देखते है। प्रत्येक किसान को दुधारू पशु उपलब्ध हो, इसकी अपेक्षा वे शासन से करते है। अभी तक पशुपालन के लिए शासकीय सहायता गरीबी उन्मूलन की एक साधन के रूप में देखी जाती थी। किसान अपेक्षा करते है कि अब इसे कृषि विकास की ही एक किसान गतिविधि के रूप में मान्यता मिले। पशु चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ एवं व्यापक बनाने की अपेक्षा भी की गई।

(४) सबसे अधिक उत्साहजनक बात यह है कि कृषक अब कृषि वैज्ञानिकों तथा विस्तार सेवाओं के अधिकारियों से निरन्तर जानकारियां एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने में रूचि रखते है। सामयिक जानकारी एवं जनोन्मुखी बनाने की आवश्यकता है।

(५) सिंचाई संसाधन (Irrigation Infrastructure) की अधिक सुविधा कृषक चाहते हैं। नहरों का फैलाव, नए बंधान का निर्माण, ट्यूबवेल खनन हेतु अधिक अभिप्रेरणा, बलराम तालाब के गहरीकरण के लिए अतिरिक्त अनुदान, स्टाप डेम, कुआं निर्माण के लिए अधिक अभिप्रेरण तथा इन्हें रोजगार गारंटी योजना के साथ समन्वय (Convergence) की मांग कृषकों द्वारा की गई। कृषकों ने विभिन्न संभावित सिंचाई/बंधान योजनाओं की जानकारी अपने प्रस्तावों में दी।

(६) किन्तु इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि कृषक ***"जल संरक्षण"*** और ***"जल पुर्नभरण"*** की आवश्यकता विशेष रूप से अनुभव करने लगे है। गुजरात मॉडल पर ग्रामवार प्रोजेक्ट बनाए जाए। जल संग्रहण एवं पुनर्भरण के निर्माण कार्य क्षेत्रवार सघन योजना बनाकर किए जाए।

(७) संतुलित पोषण तत्व प्रबंधन की दृष्टि से कृषक मिट्टी परीक्षण का महत्व समझने लगे है। आवश्यकता उन्हें संरचनात्मक सुविधा देने की है। अब तो रेवेन्यू इंसपेक्टर सर्किल, ग्राम सेवक, केन्द्र या विकास खण्ड स्तर तक मिट्टी परीक्षण केन्द्रों की आवश्यकता कृषक महसूस कर रहे है।

(८) विद्युत सुविधाओं में कृषक सुधार चाहते है। इस विषय में अधिक चर्चा की आश्यकता नहीं है।

(९) कभी भी छोटी छोटी समस्याएं महामारी का रूप धारण कर लेती है। ऐरा प्रथा, जंगली जानवरों का उत्पाद ऐसी ही समस्या है। सुअर और नील गायों से अधिकांश जिलों के कृषक परेशान

है। इसी प्रकार ऐरा प्रथा के कारण कृषक दो फसल या तीन फसल लेने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। शासन स्तर से इस विषय में गंभीर पहल जिसमें आवश्यकतानुसार कानूनी प्रावधान बनाना सम्मिलित है।

(१०) लाभकारी मूल्य कृषि उपज का न मिलना कृषकों की आम भावना है। आमतौर पर कृषक यह अनुभव करते है कि समर्थन मूल्य के निर्धारण में कृषकों की निर्णयकारी भूमिका होना चाहिए। यह भी कृषि उपज के मूल्य का संबंध उत्पादन की लागत से होना चाहिए।

(११) उन्नत कृषि उपकरण उपयोग करना कृषक चाहते हैं। युक्तियुक्त क्षेत्र एवं दूरी पर कामन सर्विस सेंटर की आवश्यकता महसूस की जा रही है। कृषि यंत्रीकरण युनिट्स को पुनः सक्रिय करने की मांग सामान्यतः हो रही है।

(१२) विपणन व्यवस्थाओं के महत्व की ओर कृषक सचेष्ट है और अधिकांश कृषकों ने कृषि उपज मंडी समितियों की व्यवस्थाओं की सुधार की मांग की। समर्थन मूल्य, खरीदी व्यवस्था प्रत्येक १० कि.मी. पर चाहते हैं। कृषक अब उपभोक्ताओं से सीधे संपर्क में आकर बिचौलियों के द्वारा किए जा रहे शोषण से मुक्ति चाहते है। कृषक उपभोक्ता बाजार की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

(१३) कृषकों में जुताई/बुआई की उन्नत विधियां अपनाने के प्रति उत्सुकता एवं जागरूकता है। कृषक यह अनुभव करते हैं कि अब सिंचाई की वे विधियां अपनानी चाहिए जिससे कम से कम पानी में अधिक से अधिक लाभ लिया जा सके। ड्रिप/स्प्रिंकलर जैसी सिंचाई विधियों की उपयोगिता सभी मानते हैं। समग्र रूपेण जल प्रबंधन एक महत्वपूण मुद्दा बन गया है। फ्लो इरीगेशन में भी सिंचाई नालियों की लायनिंग आदि आवश्यक है।

(१४) राजस्व संबंधी व्यवस्थाओं जिसमें नामांतरण, सीमांकन, खसरा, प्राप्त करना आदि में किसान प्रताडित अनुभव करते है एवं उसे कृषि के प्रति हतोत्साहित करने वाली बाधा मानते हैं।

(१५) पूंजी की समस्या किसान आमतौर पर अनुभव करते हैं। इस विषय में दो प्रकार के सुझाव आए हैं :- आदान सस्ते हो, संस्थागत कृषि ऋण उत्पादन से जुड़ा हुआ हो। कृषक क्रेडिट कार्ड के शत प्रतिशत एवं इनके जारी होने में प्रक्रिया के सरलीकरण की बात कृषकों ने की।

(१६) कृषि बीमा योजना के क्रियान्वयन में कृषक सुधार चाहते है इस आशय का चाहते है कि –

i.निर्धारित सर्वे एवं फसल कटाई प्रयोग समय पर हो तथा दावों का भुगतान संबंधित वित्तीय वर्ष में ही हो। विलंबित भुतान से बीमा का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।

ii.बीमा कृषक के खेतवार होना चाहिए या कम से कम ग्रामवार हो। कृषि बीमा को व्यक्तिगत बीमा के साथ जोडकर एक नया स्वरूप सामने लाने का सुझाव भी कृषक सम्मेलन में प्राप्त हुआ।

(१७)प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में एक अधिक स्थाई राहत व्यवस्था कृषक चाहते है। कुछ विशिष्ट फसलों जैसे- पान की खेती, के लिए सामान्य मापदण्ड लागू नहीं हो सकते। इनके लिए विशेष उपबन्ध की आवश्यकता महसूस की गई है।

(१८)असिंचित खेती की ओर अधिक ध्यान दिया जाए तथा असिंचित खेती के लिए उन्नत किस्मों को विकसित करने तथा उपरोक्त उद्देश्य से अनुसंधान संस्थाओं तथा वैज्ञानिकों को प्रवृत्त करने की आवश्यकता बताई गई।

(१९)दलहन और तिलहन फसलों की ओर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता महसूस की गई।

(२०)उपर जो दो बिंदु लेख किए गए है विशेषकर कृषि की सघनता बढाने के उद्देश्य से है। आमतौर पर कृषकों ने अनुरोध किया कि रबी और खरीफ में खेतों को बिना बोया गया क्षेत्र छोडकर कृषि को लाभकारी बनाना कठिन रहेगा।

(२१)भूमि विकास जिसमें मेड़ बंधान, समतलीकरण सम्मिलित हैं, अत्यन्त आवश्यक है। इसे शासन स्तर से निःशुल्क करने की अपेक्षा की है। यदि यह न भी हो तो इसके लिए संस्थागत ऋण सरलता से सुलभ कराया जाए। यद्यपि यह वर्तमान में कृषि ऋण की सूची में है किन्तु प्रक्रिया जटिल होने से इस मद में ऋण कृषकों को सुलभ नहीं हो पा रहे हैं।

(२२)कृषि को लाभकारी बनाने के लिए नितांत आवश्यक है कि कृषक परंपरागत कृषि के अलावा उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, प्रेक्षेत्र वानिकी, एवं कृषि से संबंधित अन्य ऐसे ही सहायक व्यवसायों को जोड़े। क्योंकि कृषि इकाई यदि छोटी हुई तो केवल परंपरागत खेती के आधार पर सम्मानजनक आर्थिक जीवन बिताना कठिन होगा।

(२३)कृषकों को अनुदान देने की वर्तमान प्रक्रिया से किसान अत्यन्त असंतुष्ट है। उनकी सामान्य समस्या यह कि अनुदान (Subsidy) का लाभ उन्हें न मिलकर व्यापारियों तथा बीच के व्यक्तियों को मिलता है। आमतौर पर यह अनुभव किया गया है कि कृषि अनुदान कृषकों को सीधे ही दी जाए उनके खाते में जमा हो जाए। अनुदान कार्य के पूर्व या कार्य संपादन के दौरान ही भुगतान होना चाहिए ताकि किसानों को बैंक ऋण का ब्याज अनावश्यक न देना पडें। यह भी एक विचार रखा गया कि किसानों को टुकडों टुकडों में अनुदान न देकर एकीकृत सहायता राशि प्रदान की जाए, यद्यपि वे सहायता राशि देने की प्रक्रिया और फार्मूला सुझावदाता नहीं दे पाए,।

(२४)किसानों का ध्यान अब फसलोत्तर प्रबंधन की ओर भी गया है। गोदाम की आवश्यता सभी मांग रहे है। पंचायत स्तर पर भंडार गृहों का निर्माण और कृषकों को व्यक्तिगत स्तर पर भी इसके लिए प्रशिक्षण एवं गोदाम, टंकियों इत्यादि के लिए सहायता दी जाने की मांग की गई।

(२५)कृषि उपज के किसानों को मिलने वाले मूल्य तथा उपभोक्ता के बीच मूल्य का इतना अधिक अंतर हो जाता है कि किसान अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे है। अब सामान्यतया यह अनुभव किया गया है कि छोटी-छोटी प्रोसेसिंग युनिट्स सहकारिता के क्षेत्र में या कृषकों के स्वसहायता समूह स्थापित करके बनाई जाए।

(२६)इसी अनुक्रम में किसान अब अपने स्वयं की उत्पादक कम्पनियां या स्वयं सहायता समूह बनाने के प्रति उत्साहित है ताकि आदान व्यवस्था और विपणन तथा प्रोसेसिंग व्यवस्था सभी में सीधा उनका हस्तक्षेप हो एवं सीधा लाभ उन्हें मिले।

(२७)फसल खाद्य संस्करण उद्योगों को व्यापक पैमाने पर विकसित किया जाना

(२८)गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का प्रबंधन समग्र गॉव विकास के रूप में किया जाना।

(२९)अन्नदाता की जगह बीजदाता के रूप में ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया जाना।

(३०)सीमांत, लघु कृषकों एवं अनुसूचित जाति, जनजाति कृषकों

Impact Factor : 1.7604(UIF)

के लिए स्वरोजगार प्रदाय करने हेतु फलों एवं सब्जियों का व्यवसाय, बीज व्यवसाय, दुग्ध उत्पादन व्यवसाय, कुक्कुट एवं मधुमक्खी पालन व्यवसाय, वन औषधियों का व्यवसाय, कृषि उपकरणों का लघु व्यवसाय, लघु मील व्यवसाय, फूल व्यवसाय को धंधे के रूप में लागू करने पर किसानों की आय में वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में बदलाव आयेगा। गरीबी के साथ-साथ बेरोजगारी समाप्त हो जायेगा। एक आर्दश स्वराज की कल्पना साकार होगी।

(३१)कृषि को लाभकारी बनाने के लिए यह भी आवश्यक है कि विभिन्न कृषि उपज के सघन उत्पादन क्षेत्र विकसित किए जाए ताकि मार्केटिंग एवं प्रोसेंसिग की सुविधा हो।

(३२)वर्तमान में कृषि के लाभकारी न होने का एक कारण यह समझ में आया कि खेती को किसान योजनाबद्व तरीके से एक प्रोजेक्ट के तौर पर न करके इसके प्रति एक चालू (Casual) दृष्टिकोण रखे है। कृषि को लाभकारी बनाना है तो कृषकों को बाजार की मांग आधारित उत्पादन की ओर प्रेरित करना होगा। इसी कड़ी में यह उल्लेख करना उचित होगा कि खेती में क्रमशः नवयुवकों की रूचि कम हूई है। अतः अब नितांत आवष्यक है कि कृषि को वैज्ञानिक तरीके से, उपर की कंडिकाओं में उल्लेखित समस्याओं का समाधान किया जाए ताकि खेती लाभकारी हो। इसके साथ Glamour जुड़ें और नवयुवकों को खेती की ओर आकर्षित हो। घिसी पिटी अलाभकारी प्रक्रियाओं के साथ नवयुवकों को प्रवृत्त नहीं किया जा सकता। जो कार्य पूरे मन से (whole heartedly) नहीं किया जाता उसकी दुर्दशा होना ही है।

यह सोच कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पलक झपकते ही काया पलट हो जाये ऐसा संभव नहीं है, परंतु जिस दिशा की ओर भारत अग्रसर है वह आर्थिक एंव सामाजिक सुदृणीकरण का सूचक है। यह गर्व की बात है कि भारतीय कृषि व्यवस्था, कृषि वैज्ञानिक और किसान २१वीं सदी में उभरती सामाजिक, आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो रहे हैं। यह अथक प्रयासों का परिणाम था कि हमने खाद्यान्न का अधिकाधिक उत्पादन किया वहीं दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में १० करोड़ से ज्यादा उत्पादन कर हम विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं।

आर्थिक उदारीकरण एवं संरचना परिवर्तन के दौर में विकसित राज्यों के कुछ बड़े नगर विकास की घुरी बनकर उभरे हुए हैं। नवोन्मुखी रोजगार एवं सुविधाएं इन्हीं शहरों तक सिमट कर रह गयी हैं। विकास से संबंधित उपलब्ध ऑकडें दर्शाते है कि देश में ग्रामीण लोगों की उच्च स्तरीय सेवाओं तक पहुँच तुलनात्मक रूप से पिछली अवस्था में है। पिछले ६६ साल से खेती की जो पद्धति चली आ रही है उसे पूरी तरह से बदलना आवश्यक है। बदलाव करने में जैविक खेती की अहमियत को भी ध्यान में रखते हुए कृषि नीति बनाने की आवष्यकता है। अतः इस शोध प्रबंधन में ग्रामीण विकास के लिए जो अनुशंसाएं की गई हैं जिसको मध्यप्रदेश शासन को गंभीरता से लेकर आगामी कार्य योजनाओं में सम्मिलित कर इस दिशा में गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है।

संदर्भित पुस्तकें

1.Mishra R.P. : Rigional planning
2.Singh M.B. and Dubey K.K. : Pradeshik Vikas Niyojan

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- Google Scholar
- EBSCO
- DOAJ
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.org